लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *234

16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तसर बुनकरों का क्षमता निर्माण

***234. डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का तसर बुनाई के व्यवसाय से जुड़े बुनकरों की ब्रांडिंग और क्षमता निर्माण का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा तसर बुनाई के व्यवसाय को बनाए रखने के लिए गोपालपुर में वस्त्र पार्क स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा द्वारा "तसर बुनकरों का क्षमता निर्माण" के संबंध में दिनांक 16.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *234 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) और हथकरघा विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय (डीसी हथकरघा) के माध्यम से, ब्रांडिंग और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में तसर बुनकरों सहित रेशम बुनकरों को सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न पहलें करती है। सीएसबी, अपनी आर एंड डी इकाइयों के माध्यम से, और समर्थ योजना के माध्यम से रेशम रीलिंग, वीविंग और प्रसंस्करण गतिविधियों में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है और तसर उत्पादक राज्यों में 6850 व्यक्तियों को 2021-22 से 2025-26 (नवंबर-2025 तक) की अवधि के दौरान रीलिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और संबंधित कौशल में प्रशिक्षित किया गया है।

वीविंग, डाइंग/प्रिंटिंग और डिजाइनिंग के लिए आवश्यकता-आधारित कौशल उन्नयन कार्यक्रम भी विकास आयुक्त हथकरघा द्वारा क्षेत्र की जरूरतों और राज्य विशिष्ट मांगों के आधार पर आयोजित किए जाते हैं।

तसर बुनकरों के उत्पादों सहित भारतीय रेशम को सीएसबी के तहत एसएमओआई (सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया) द्वारा प्रबंधित सिल्क मार्क लेबल के तहत वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है, और राष्ट्रव्यापी रेशम मार्क एक्सपो के माध्यम से बाजार पहुंच को बढ़ाया जाता है जहां रेशम बुनकरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

वस्त्र मंत्रालय एनएचडीपी (राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम) के तहत भारत भर में तसर उत्पादों सहित हथकरघा उत्पादों के जीआई (भौगोलिक संकेत) पंजीकरण में भी सहायता प्रदान करता है।

(ख): सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****